

प्रदीप कुमार सिंह-II, H.J.S.  
जनपद न्यायाधीश।

विश्राम कक्ष  
कानपुर नगर  
डी0ओ0 नं0 01/2024  
दिनांकित 16.02.2024


श्रीमती कुमुदलता त्रिपाठी,

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या-15774/2021 अरविन्द मिश्रा उर्फ वैभव मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश दिनांकित 30.01.2024 पारित कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट) से सम्बन्धित मामले के विचारण की अद्यतन स्थिति की आख्या आहूत की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए मामले में अग्रिम तिथि 15.02.2024 नियत थी।

उक्त आदेश के अनुपालन में अपर सिविल जज (जू0डि0)/महानगर मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-10, कानपुर नगर द्वारा आख्या आज दिनांक 16.02.2024 को मेरे समक्ष 10:15 बजे प्रस्तुत की गयी है, जिसपर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 15.02.2024 अंकित है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर आपको आख्या के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद आपके स्तर से आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी और आख्या असाधारण विलम्ब से प्रेषित किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आप तीन दिन के अन्दर परिस्थितियों स्पष्ट करें।

  
16/02/2024  
(प्रदीप कुमार सिंह-II)

श्रीमती कुमुदलता त्रिपाठी,  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

प्रेषक,

कुमुदलता त्रिपाठी  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
कानपुर नगर।

विषय:—अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-01/2024 के संबंध में वांछित आख्या।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि माननीय महोदय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-01/2024 दिनांकित 16.02.2024 के माध्यम से यह आख्या चाही गयी है कि किमिनल मिसलेनियश अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 संख्या-15774/2021 के संबंध में अद्यतन स्थिति की आख्या विलम्ब से क्यों प्रेषित की गयी।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर उसे दिनांक 08.02.2024 को संबंधित न्यायालय अपर सिविल जज (जू. डि.) कोर्ट संख्या-10, कानपुर नगर में प्राप्त कराया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा एक सप्ताह तक उक्त आदेश अपने पास रखे रही तथा अनुपालन आख्या दि० 15.02.2024 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में प्राप्त करायी गयी। उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से आख्या आहूत की गयी। संबंधित न्यायालय द्वारा अपनी आख्या के साथ संबंधित न्यायालय में कार्यरत लिपिकगण का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया है। संबंधित न्यायालय द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि "इस न्यायालय में कार्यरत लिपिकगण की लापरवाही के चलते निर्धारित प्रारूप में आख्या तैयार कर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में दिनांक 15.02.2024 को प्रस्तुत की गयी।"

मेरे द्वारा इस न्यायालय में कार्यरत लिपिक श्री गोपाल दास से भी उक्त के बाबत स्पष्टीकरण आहूत किया गया। श्री गोपाल दास द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस अपर सिविल जज (जू. डि.) कोर्ट संख्या-10, कानपुर नगर के न्यायालय में दिनांक 08.02.2024 को प्राप्त करायी गयी।

मेरे स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस/आदेशिकाओं का प्राथमिकता के आधार पर मेरे द्वारा अनुपालन कराकर नियत तिथि से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है फिर भी भूलवश कोई त्रुटि हो गयी हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। आख्या माननीय महोदय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीया

MM 19/02/24

दिनांक-19.02.2024

(कुमुदलता त्रिपाठी)  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

संलग्नक यथोक्त

680  
3.



E-mail/Speed Post

Registrar General  
High Court of Judicature at  
**ALLAHABAD**

To: The Chief Judicial Magistrate  
Kanpur Nagar

No.: RC/648(Crl)

Dated: February 02, 2024

Subject: CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 15774 of 2021 - Arvind Mishra  
@ Vaibhev Mishra Vs. State of U.P.

Sir/Madam,

In the above mentioned case, the Hon'ble Court (Hon'ble Krishan Pahal, J.), vide order dated 30.01.2024 has been pleased to direct as follows:

- "....."
3. Place this application on 15.02.2024 peremptorily in the additional cause list.
  4. C.J.M. concerned shall submit a report by the next date fixed with regard to the current status of trial in the instant matter.
  5. Registrar Compliance of this Court is directed to communicate this order to the C.J.M. concerned for necessary compliance within 72 hours."

While enclosing herewith a true copy of the order dated 30.01.2024, you are requested to kindly ensure necessary compliance of the above order and submit a report with regard to the current status of the trial, strictly as per the direction of the Hon'ble Court, to the undersigned on the email id [compliance@allahabadhighcourt.in](mailto:compliance@allahabadhighcourt.in), before the date next fixed i.e. 15.02.2024.

Yours faithfully

Encl: As above

*AMM 2.2.24*  
for Registrar (Compliance)  
for Registrar General

Copy forwarded for information and necessary action to:

Registrar (Criminal), High Court, Allahabad.

Registrar (Compliance)  
for Registrar General

*C  
01/02/24*